यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल के माह -**04/2015** से **01/2018** तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय कुमार, वरि0ले0प0, श्री एस॰एस॰ राणा **AAO** एवं श्री र व शंकर **AAO** द्वारा दिनांक **02.02.2018** से 06.02.2018 तक श्री एस0के0 जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

परिचयात्मकः**1.** इस इकाई की स्वतंत्र रूप से यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2015** से **01/2018** तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से लाभा थयो को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरन 5-पोषण एवम स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवम शक्षा)।

समस्त थत्यूड़ वकासखण्ड।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू॰ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	**(+)**	**(-)**
2015-16	0.00	0.00	201.59	193.39	125.40	124.77	0.00	08.83
2016-17	0.00	0.00	200.48	187.41	160.23	119.29	0.00	54.01
2017-18 (12/2017 तक)	0.00	0.00	305.32	173.37	121.20	84.44	0.00	168.71

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम।	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य**(+)**	बचत**(-)**
2015-16	आंगनवाड़ी मानदेय	0.00	86.89	86.89	0.00	0.00
2016-17	आंगनवाड़ी मानदेय	0.00	90.57	79.61	0.00	10.96
2017-18	आंगनवाड़ी मानदेय	0.00	88.86	72.44	0.00	16.42
2017-18 (12/2017 तक)	टी.एच.आर. /कूक्ड फूड	0.00	120.16	84.44	0.00	35.72

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई केंद्र से धनरा शप्राप्त करता है तथा अ श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. **4.** सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में बाल वकास परियोजना अ धकारी**,** थत्यूड़**,** टिहरी गढ़वाल को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी**,** थत्यूड़**,** टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **12**/2016 एवं 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नन्दा देवी योजना,टी.एच.आर./कूक्ड फूड एवं मुख्य मंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना आदि का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग ब 2

प्रस्तर 1-: बिभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत **200** लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रखे जाने के परिणामस्वरूप रु 15000/- प्रति की दर से रु **30.00** लाख का लंबित दायित्व रखा जाना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयो, जिनके परिवार मे 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ नेजन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप मे रु 15000/-की धनरा श तीन कस्तों मे प्रदान की जायेगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी थत्यूड के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क 31 मार्च 2017 तक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 385 आवेदको द्वारा आवेदन कया गया। वर्ष 2017-18 के अंतर्गत कुल 185 आवेदको को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु चयनित कया गया जब क 200 आवेदन पत्र परियोजना स्तर पर ही लंबित रखे गए थे जिन्हे अ ग्रम कार्यवाही हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी टिहरी गढ़वाल को प्रे षत नहीं कया गया था। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो की गहनता पूर्वक जांच करते हुए 15 दिनो मे जनपद स्तरीय स मति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को प्रस्तुत कया जाना था जब क उक्त दिशा निर्देशों की अनदेखी की गयी। इस प्रकार 200 पात्र आवेदक योजना के लाभ से वं चत थे जिनको लाभान्वित करने हेतु रु 30.00 लाख की धनरा श की आवश्यकता थी। इस प्रकार इकाई पर रु 30.00 लाख की धनरा श के भुगतान करने का लंबित दायित्व था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क अवशेष आवेदन पत्रो को शीघ्र ही स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर भेजा जाएगा तथा जिला स्तर पर आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराने के बाद निदेशालय से बजट की मांग की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 15 दिनो के अंदर समस्त आवेदन पत्र जनपद स्तरीय स मति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को प्रस्तुत कया जाना था जब क उक्त दिशानिर्देशों की अनदेखी कर इनको परियोजना स्तर पर लंबित रखा गया। अतः बिभागीय उदासीनता के कारण 200 लाभार्थी योजना के लाभ से वं चत थे जिनको रु 15000/- प्रति की दर से रु 30.00 लाख का भुगतान कया जाना लंबित था। अतः इकाई पर रु 30,00,000/- की धनरा श का भुगतान कये जाने का लंबित दायित्व रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर **2-** धनरा श की उपलब्धता के वावजूद बिभागीय श थलता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत **08** लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रख रु **1.05** लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखा जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार मे 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप मे रु 15000/-की धनरा श तीन कस्तों मे प्रदान की जायेगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी थत्यूड के योजना के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया कयोजना के अंतर्गत मार्च 2015 से अप्रैल 2017 के मध्य 393 आवेदको को भुगतान हेतु ज़िला कार्यक्रम अ धकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा रु 56.10 लाख (15000*336+10000*57) की धनरा श उपलब्ध कराई गयी थी परंतु इकाई द्वारा लाभा र्थयो को धनरा श वतरण कार्ये मे श थलता बरतते हुए लेखापरीक्षा अव ध तक कुल 385 आवेदको को ही धनरा श का भुगतान कर लाभान्वित कया गया था जब क 08 आवेदको को योजना के लाभ से वं चत रख इस धनरा श (₹ 1.05 लाख) को इकाई के बैंक खाते मे अवरुद्ध रखा गया था जो योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत था। जिला कार्यक्रम अ धकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा धनरा श आवंटित करते समय 21 दिन मे योजना का लाभ प्रदान करने के स्पष्ट आदेश दिये गए थे परंतु धनरा श आवंटन के 9 माह से 27 माह तक की अव ध बीत जाने के पश्चात भी लाभा र्थयो को इसका लाभ नहीं दिया गया था तथा इस धनरा श को बैंक मे अवरुद्ध रखा गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क लाभा र्थयो के खाता संख्या सही न होने के कारण उनको लाभ नहीं दिया जा सका लाभा र्थयो से सही खाते मांगे जा रहे है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय स मति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उनकी बारीकी से जांच की जानी थी तथा वांछित सूचनाओ को उसी समय प्राप्त कर लया जाना चाहिए था। धनरा श आवंटन के पश्चात उसको अवरुद्ध रखा जाना उ चत नहीं था। अतः धनरा श की उपलब्धता के वावजूद वभागीय श थलता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 08 लाभा र्थयो को योजना के लाभ से वं चत रख रु 1.05 लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग -दो 'ब'

प्रस्तर 3: वर्ष **2015-16** में रु **124.37** तथा वर्ष **2016-17** में रु **118.49** लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनाँक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनाँक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री बृध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था ।

मुख्यमंत्री बृध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनरा श के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संक लत करते हुए बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल) के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री बृध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में रु.1589982=00 की धनरा श e-payment/transfer के माध्यम से अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कया गया था। इसी प्रकार इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रु.16,33,050=00 की धनरा श e-payment/transfer के माध्यम से अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कया गया था। माता स मतियों के खातों में हस्तांतरित धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र इकाई द्वारा प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (फरवरी 2018) तक उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कए गए थे।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में रु. 109.00 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष वर्ष 2015-16 में रु.108.47 लाख का व्यय कया गया था तथा अवशेष धनरा श सम र्पत की गई थी तथा वर्ष 2016-17 में रु.142.65 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष वर्ष 2016-17 में रु.102.16 लाख का व्यय कया गया था तथा अवशेष धनरा श सम र्पत की गई थी। व्यय की गई धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा ति थ तक प्राप्त नहीं कए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सुपरवाईजरों को निर्देश दिये जा रहे है।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त क पुष्टि करता है। अतः वर्ष वर्ष 2015-16 में रु. 124.37 तथा वर्ष 2016-17 में रु.118.49 लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'	स्टैन
यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।	-	-	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्रीमती सुलेखा सहगल	बा.परि . व . अ ध	2014/08से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल वकास परियोजना अ धकारी, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.